



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना अफजलगढ

दिनांक – 12.01.2025

**थाना अफजलगढ पुलिस ने मु0अ0सं0 11/2025 धारा 70(1) बीएनएस मे वांछित 03 अभियुक्तो को किया गिरफ्तार ।**

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 11.01.2025 को वादिया ने थाना अफजलगढ पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.अमन पुत्र बलराम सिंह, 2.हेमराज उर्फ मोनू पुत्र दयानन्द सिंह व 3.दिनेश पुत्र ध्यान सिंह निवासीगण ग्राम हीरापुर गोकल उर्फ गढवावाला थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर द्वारा वादिया के साथ गलत कार्य किया गया । तहरीर के आधार पर थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 11/2025 धारा 70(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



### कार्यवाही –

थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.अमन, 2.हेमराज उर्फ मोनू व 3.दिनेश उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.अमन पुत्र बलराम सिंह निवासी ग्राम हीरापुर गोकल उर्फ गढवावाला थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
- 2.हेमराज उर्फ मोनू पुत्र दयानन्द सिंह निवासी ग्राम हीरापुर गोकल उर्फ गढवावाला थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
- 3.दिनेश पुत्र ध्यान सिंह निवासी ग्राम हीरापुर गोकल उर्फ गढवावाला थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।

### आपराधिक इतिहास अभियुक्त अमन उपरोक्त-

- 1.मु0अ0सं0 11/2025 धारा 70(1) बीएनएस थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।

### आपराधिक इतिहास अभियुक्त हेमराज उपरोक्त-

- 1.मु0अ0सं0 11/2025 धारा 70(1) बीएनएस थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।

### आपराधिक इतिहास अभियुक्त दिनेश उपरोक्त-

- 1.मु0अ0सं0 11/2025 धारा 70(1) बीएनएस थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
- 2.मु0अ0सं0 78/2023 धारा 323/504/506 भादवि थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.थानाध्यक्ष श्री योगेश कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
- 2.उ0नि0 श्री यशपाल मलिक थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
- 3.हे0का0 428 रवि मलिक थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
- 4.का0 2106 सुरेश कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
- 5.का0 384 राहुल कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
- 6.का0 चालक 2118 अभिषेक थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना धामपुर

दिनांक – 12.01.2025

**थाना धामपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 16/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को चोरी किये गए सबमर्सिबल के स्टार्टर सहित किया गिरफ्तार ।**

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 11.01.2025 को वादी ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 10.01.2025 की रात्रि मे किसी समय कस्बा धामपुर मे जाहरवीर कॉलोनी शक्ति नगर मे बने मकान के पास लगे सबमर्सिबल पम्प से स्टार्टर चोरी हो गया था उसी स्टार्टर को आज दिनांक 12.01.2025 को अभियुक्त सोनू उर्फ देवप्रकाश पुत्र प्रमोद निवासी दित्तनपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर बेचने की कोशिश कर रहा था जिसे मौके पर ही वादी पकडकर थाने लाया है । तहरीर के आधार पर



थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 16/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त सोनू उर्फ देवप्रकाश उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सोनू उर्फ देवप्रकाश पुत्र प्रमोद निवासी दित्तनपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।

### बरामदगी विवरण-

चोरी का सबसमर्सिबल का स्टार्टर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री राजीव कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
- 2.हे0का0 645 प्रदीप कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नांगल

दिनांक – 12.01.2025

**थाना नांगल पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार ।**

**कार्यवाही –**

थाना नांगल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त निखिल पुत्र महावीर निवासी ग्राम ब्रहमपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को एक अवैध तमन्चा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया । इस संबंध में थाना नांगल पर मु0अ0सं0 06/2025 धारा 3/25(1-b)(A) आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।



**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

निखिल पुत्र महावीर निवासी ग्राम ब्रहमपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।

**बरामदगी विवरण -**

01 अवैध तमन्चा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –**

- 1.उ0नि0 श्री उपेन्द्र सिंह थाना नांगल जनपद बिजनौर ।
- 2.हे0का0 762 प्रवीण चौहान थाना नांगल जनपद बिजनौर ।
- 3.का0 156 रोहित थाना नांगल जनपद बिजनौर ।
- 4.का0 93 राकेश थाना नांगल जनपद बिजनौर ।
- 5.का0 1878 अंकित कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर

दिनांक – 12.01.2025

**थाना कोतवाली पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार ।**

### कार्यवाही –

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त सागर सिंह पुत्र सतेन्द्र सिंह निवासी ग्राम चौकपुरी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को एक अवैध तमन्चा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया । इस संबंध थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 23/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सागर सिंह पुत्र सतेन्द्र सिंह निवासी ग्राम चौकपुरी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ।

### बरामदगी विवरण -

01 अवैध तमन्चा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. का0 904 विमल थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
2. का0 1566 निखिल थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
3. का0 1319 अर्पित थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना किरतपुर

दिनांक – 12.01.2025

**थाना किरतपुर पुलिस ने मु०अ०सं० 309/2024 धारा 420/467/468 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 14.07.2024 को वादी श्री चेताराम पुत्र पतराम निवासी ग्राम शाहपुर सुक्खा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि मौ० वहाज पुत्र इस्लाम निवासी मौ० मुफ्तियान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के पुत्र शिवराज को कुवैत भेजने का झांसा देकर फर्जी वीजा बनाकर दे दिया तथा वादी से ₹ 97,000/- हड़प लिये । इस सम्बंध में थाना किरतपुर पर मु०अ०सं०



309/2024 धारा 420/467/468 भादवि बनाम मौ० वहाज उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।

### कार्यवाही –

दिनांक 11.01.2025 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मौ० वहाज पुत्र इस्लाम निवासी मौ० मुफ्तियान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मौ० वहाज पुत्र इस्लाम निवासी मौ० मुफ्तियान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.व०उ०नि० श्री योगेन्द्र शर्मा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
- 2.हे०कां० 364 लालू यादव थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
- 3.कां० 1177 पुनीत त्यागी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नूरपुर

दिनांक – 12.01.2025

थाना नूरपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 10/2025 धारा 62/305(ए)/331(4)/351(2) बी0एन0एस0 में वांछित अभियुक्त को पुलिस मुठभेड के दौरान घायल अवस्था में अवैध शस्त्र व नकबजनी की घटनाओं में प्रयुक्त किये जाने वाले उपकरणों सहित किया गया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 11.01.2025 को वादी श्री पतराम सिंह पुत्र बलवीर सिंह निवासी ग्राम गौहावर हल्लू थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 10.01.2025 की रात्रि में रविन्द्र पुत्र रामपाल निवासी ग्राम गौहावर जैत थाना नूरपर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के एसबीआई ग्राहक सेवा केन्द्र के शटर का ताला तोडने का प्रयास किया गया तथा वादी के मौके पर पहुंचने पर रविन्द्र धमकी देते हुए मौके से भाग गया । इस संबंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 10/2025 धारा 62/305(ए)/331(4)/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



### कार्यवाही –

दिनांक 11/12.01.2025 की रात्रि में थाना नूरपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 10.01.2025 की रात्रि में एसबीआई ग्राहक सेवा केन्द्र में नकबजनी का प्रयास करने वाला अभियुक्त ग्राम गौहावर व आलमपुर एडवा नहर के पुल से जंगल की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर आम के पेड के पास बैठा है, जो आज फिर कहीं नकबजनी की घटना को अंजाम देने की फिराक में है । सूचना पर थाना नूरपुर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर अभियुक्त को गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया । पुलिस टीम द्वारा की गयी जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लगी, जिसे मौके पर ही पुलिस टीम द्वारा घायल अवस्था में हिरासत में लिया गया । कार्यवाही के दौरान आरक्षी 622 सुशील कुमार को बांयी बाजू में गोली लगी । पुलिस द्वारा घायल पुलिसकर्मी व घायल अभियुक्त को उपचार हेतु सीएचसी नूरपुर में भर्ती कराया गया ।

घायल अभियुक्त ने अपना नाम रविन्द्र पुत्र रामपाल निवासी ग्राम गौहावर जैत थाना नूरपर जनपद बिजनौर बताया । अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमन्चा 315 बोर, एक खोखा व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा एक काले रंग के बैग में नकबजनी की घटनाओं में प्रयुक्त किये जाने वाले उपकरण (हथौडा, लोहे का सरिया, पलाश व एक छोटी टार्च) बरामद हुए । इस संबंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 11/2025 धारा 109 बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।

नोट – अभियुक्त रविन्द्र द्वारा पहले भी इस ग्राहक सेवा केन्द्र में नकबजनी की गयी थी, जिसमें थाना नूरपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त रविन्द्र को पूर्व में भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था ।

## गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रविन्द्र पुत्र रामपाल निवासी ग्राम गौहावर जैत थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

## बरामदगी –

एक अवैध तमन्चा 315 बोर, एक खोखा व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर

एक काले रंग के बैग में नकबजनी की घटनाओं में प्रयुक्त किये जाने वाले उपकरण (हथौडा, लोहे का सरिया, पलाश व एक छोटी टार्च)

## अभियुक्त रविन्द्र उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु०अ०सं० 82/2019 धारा 4/25 आयुद्ध अधि० थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
2. मु०अ०सं० 282/2021 धारा 379/411 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
3. मु०अ०सं० 27/2024 धारा 457/380/411 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
4. मु०अ०सं० 10/2025 धारा 62/305(ए)/331(4)/351(2) बीएनएस थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
5. मु०अ०सं० 11/2025 धारा 109 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
2. उ०नि० रवि कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
3. उ०नि० सुशील पंवार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
4. उ०नि० कुलदीप कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
5. कां० 2573 हरिओम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
6. कां० 622 सुशील कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
7. कां० 1800 गौरव कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर